made broadly according to the policy adopted in this regard since 1992.

गुजरात में बाढ़ से हुई क्षति

*51. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:**
श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस वर्ष भारी वर्षा से आई बाढ़ के कारण जान और माल की कितनी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को कितनी राहत प्रदान की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि राज्य को बहुत कम सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़):

(क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर, राज्य के विभिन्न जिलों में दक्षिण-पश्चिम मानसून, 1994 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जान और माल के हुए नुकसान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र.सं	जिलों के नाम	मृतकों की संख्या	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोंपड़ियां (संख्या)
1	वलसाड़	40	0.70	1765
2	डांग्स	3	0.80	78
3	सूरत	39	2.14	92781
4	भरूच	42	61.00	10734
5	जूनागढ़	23	66.95	12967
6	अमरेली	15	5.93	5875
7	जामनगर	10	24.82	8043
8	राजकोट	15	28.85	15385
9	कच्छ	10	64.00	3303
10	भावनगर	2	0.00	2407
11	सुरेन्द्रनगर	4	3.12	5217
12	मेहसाना	20	14.69	2344
13	साबरकांठा	34	0.25	5016
14	खेड़ा	20	80.87	40324
15	पंचमहल	28	433.49	11305
16	बड़ोदरा	20	238.19	41283
17	अहमदाबाद	10	25.00	12497
18	बनासकांठा	7	0.00	00
19	गांधीनगर	3	0.00	00
	कुल	345	1050.80	271324

(ग) और (घ) विद्यमान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि बनाई गई है ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत और पुनर्वास उपाय कर सकें। गुजरात के पास 85.00 करोड़ रुपये की वार्षिक आपदा राहत निधि है, जिसमें केन्द्र का अंशदान 63.75 करोड़ रुपए और राज्य का अंशदान 21.25 करोड़ रुपए है। वर्ष 1994-95 के आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय अंश की समूची राशि गुजरात सरकार को दे दी गई है।